संख्या-30 / 2016/1084/38-4-16-49(विविध) / 2016

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांकः16 अगस्त, 2016

विषयः- वर्ष 2016-17 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु समय सारिणी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या-864 /वि0का0/पी0एम0ए0वाई0-जी0/2016 दिनांक 05.08.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की जाती हैः-

क्र0	कार्यवाही के बिन्दु	निर्धारित समयावधि
1-	श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण	20 अगस्त,2016 तक
2-	लाभार्थियों का चयन	05 सितम्बर,2016 तक
3-	लाभार्थियों की सूची का अनुमोदन	20 सितम्बर,2016 तक
4-	लाभार्थियों के खातों में प्रथम किश्त की धनराशि का अंतरण	30 सितम्बर,2016 तक
5-	शासन द्वारा आयुक्त,ग्राम्य विकास को द्वितीय किश्त की धनराशि की अवमुक्ति	20 अक्टूबर,2016 तक
6-	आवासों का निर्माण लिंटर स्तर तक	31 अक्टूबर,2016 तक
7-	आयुक्त,ग्राम्य विकास द्वारा जनपदों को द्वितीय किश्त की अवमुक्ति	01 नवम्बर,2016 तक
8-	जनपद से लाभार्थियों के खातों में धनराशि का अंतरण	20 नवम्बर,2016 तक
9-	आवास पूर्णता	31 दिसम्बर,2016 तक

3- अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार लोहिया ग्रामीण आवास योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

वी0 हेकाली झिमोमी

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 30/2016/1084 (1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
पी0 एन0 त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।